राजस्थान सरकार
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2007

जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष–2007

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं जन साधारण के परिवादों का राज्य स्तर पर निराकरण करने की दृष्टि से इस विभाग की स्थापना अधिसूचना क्रमांकः प.2(20)जीए/ए/71, दिनांक 26.07.1971 के तहत की गई थी। विभाग के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को रखा गया है, जो आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग के पदनाम से जाना जाता है।

2. **जन अभियोग निराकरण के लिए वर्तमान व्यवस्था** :–
विभाग की अधिकारिता सरकारी अधिसूचना संख्याः एफ–2(20)जीए/ए/71, दिनांक 26.07.1971, 24.09.1971 तथा 13.03.1972 द्वारा परिभाषित की गई है जिन के अनुसार निम्नलिखित कार्य प्रमुख हैंः–

1. ऐसे सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले जिन्हें 3 वर्ष से अधिक समय से स्थायी नहीं किया हो।
2. पेंशन तथा उपादान (ग्रेच्युटी) के मामले।
3. तीन माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिलना।
4. सेवा निवत्तियों, मूल सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बीमा की रकम नहीं मिलना।
5. सेवा से निलम्बन के मामले, जहां कि कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से निलम्बित चल रहा हो।

3. राज्य से संबधित शिकायतें, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली शिकायतें एवं कर्मचारियों/आम जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतें इस विभाग में प्राप्त होती है साथ ही जन समस्याओं जैसे सफाई, पानी, बिजली की सुविधायें व अतिक्रमण जो जन समस्याओं की

परिधि में आते हैं उनका निस्तारण इस विभाग द्वारा समय पर किया जाता है।

4. शिकायतों के वे मामले जिनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निपटारे में देरी की गई हो या ऐसे मामलों जिन पर विभागों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया हो, पर भी विचार किया जाता है। दिनांक 09.01.1980 से इस विभाग का कार्यक्षेत्र और अधिक विस्तृत कर दिया गया जिसके अन्तर्गत नगर निगम/परिषद/पालिका (मण्डल) एवं नगर विकास न्यास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, विधवायें, अंगहीन व्यक्तियों तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में देरी, बकाया वेतन का भुगतान, यात्रा भत्ता, वार्षिक तरक्की, अमानत राशि की वापसी, चिकित्सा भत्ता, निर्वाह भत्ता, बीमा सम्बन्धी कार्य आदि का निस्तारण परीक्षणों उपरान्त किया जाता है।

5. यह विभाग कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, पूर्वोद्वाहरणों इत्यादि में परिवर्तन की सिफारिश करने हेतु अधिकृत है जिससे कार्य का निपटारा शीघ्र हो सके या वे अभियोगों के निराकरण में सहायक हो सके। विभिन्न सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा किये गये विनिश्चयों में से अभिकथित अनौचित्यके सुस्पष्ट मामलों को भी जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर अथवा जब कभी भी मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री या मुख्य सचिव महोदय द्वारा विशेष रूप से चाहा जाये, ऐसे प्रकरण भी इस विभाग द्वारा देखे जाते है।

6. मई 1992 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त व राज्यपाल महोदय द्वारा आयोजित दरबार में उन्हें प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण करने हेतु उन्हें जन अभियोग निराकरण विभाग में भेजा जाये और वांछित कार्यवाही/शिकायतों का निराकरण कर जनता को राहत पहुंचाई जावे, जिससे राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास अधिक बढ़े। परिणाम स्वरूप इस विभाग में प्राप्त परिवादों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

7. दिनांक 01.01.2007 से 31.12.2007 की अवधि में विभाग में 15567 परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से 276 पत्रों पर पत्रावली खोली जाकर सम्बन्धित शासन सचिवों/विभागाध्यक्षेां से प्रतिवेदन मांगे गये तथा शेष पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की गई। दिनांक 31.12.2006 को विभाग में 219 परिवाद लम्बित थे, उपरोक्त 276 नई खोली गई पत्रावलियों को मिलाकर कुल 495 परिवादों में से प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों में से सम्बन्धित 60 परिवाद, जन साधारण से प्राप्त व्यक्तिगत समस्याओं से सम्बन्धित 44 परिवाद, कर्मचारियों से प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित 15 परिवाद एवं महामहिम राज्यपाल महोदय एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित 112 परिवादों का पूर्णरूपेण निस्तारण कराकर बंद कराये गये। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ठ–। पर उपलब्ध है। दिनांक 31.12.2007 को 264 परिवाद लम्बित रहे।

8. <u>माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा जन सुनवाई/ई–समाधान</u> :–

दिसम्बर,2006 में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के स्तर पर निर्णय लिया जाकर राज्य में ई–समाधान कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न जिला कलेक्टरों एवं अधिकारियों से सीधे सम्पर्क स्थापित कर कुछ चुने हुए परिवादियों को शामिल कर उनकी शिकायतों का तत्काल निपटारा किया जाता हैं । ऐसी शिकायतों का चयन मुख्यमंत्री जी के निवास पर किया जाता हैं । राज्य में वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम 29 जनवरी, 2007 से प्रारम्भ किया गया हैं, इस कार्यक्रम का राज्य भर में अच्छा प्रभाव हुआ हैं । अधिकारियों में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी हैं, वहीं आम जनता में सरकार की संवेदनशीलता के प्रति विश्वास बढ़ा हैं ।

9. **जिला एवं उपखण्ड स्तर पर जन सुनवाई :–**

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 18.12.2006 से 21.12.2006 तक आयोजित "Conclave on Good Governance" के दौरान दिये गये निर्देशों/सुझावों की क्रियान्विति के लिये विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प. 4(11) आरपीजी/एएस/एफ/99 दिनांक 15.01.2007 से माननीय मुख्य सचिव महोदय की ओर से सभी संभागीय आयुक्तों/जिला कलेक्ट्ररों/उप खण्ड अधिकारियों को जन सुनवाई कर आम आदमी के परिवादों का त्वरित समाधान करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये :–

1. जिला कलेक्टरों/अतिरिक्त जिला कलेक्टरों एवं उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रति सप्ताह 2 बार लगभग आधे दिन का समय देकर प्राप्त परिवादों का जन सुनवाई के माध्यम से एक निर्धारित समय सीमा में निपटारा करेंगें । यह कार्य उनके दैनिक रूटीन कार्य के अतिरिक्त होगा ।
2. भिन्न–भिन्न प्रकार के परिवादों के लिए एक सुनिश्चित समय सीमा तय की जायें । निर्धारित समय सीमा में परिवाद का निस्तारण न होने की स्थिति स्पष्ट करनी होगी ।
3. प्रतिमाह जिला स्तर पर अन्तिम शनिवार तथा उपखण्ड स्तर पर तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाली सतर्कता समितियों की बैठकें बिना किसी व्यवधान के आयोजित कर लंबित/प्राप्त परिवादों का निस्तारण किया जाए । यदि उस दिन राजकीय अवकाश पड़ता हो तो यह बैठक आगामी कार्य दिवस को आवश्यक रूप से आयोजित की जावें । संभागीय आयुक्त इन सतर्कता समितियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों की नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करेगें । जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा इन बैठकों की समीक्षा पूर्व की भांति की जायेगी ।
4. माह के अन्तिम शनिवार को आयोजित होने वाली सतर्कता समिति की बैठकों के व्यापक प्रचार–प्रसार की व्यवस्था की जावें ।

10. जिला सतर्कता समितियों की बैठके प्रतिमाह आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा कई बार जिला कलेक्टरों को लिखा गया हैं । माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा गत जिला कलेक्टर्स कांफ्रेस में जिला कलेक्टरों को दिये गये निर्देशानुसार अब सभी जिला कलेक्टरों द्वारा सतर्कता समिति की बैठके समय पर आयोजित की जा रही हैं । अप्रेल,07 से जून,07 तक के त्रैमास में सभी जिला कलेक्टरो द्वारा प्रतिमाह बैठकों का आयोजन किया गया एवं निर्धारित 96 बैठकों में से 96 बैठके आयोजित की जाकर एवं लगभग 1000 प्रकरणों का निस्तारण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया ।

11. आलोच्य अवधि में 01.01.2007 से 31.12.2007 तक जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की 341 बैठकें आयोजित की गई। इस अवधि में 3227 प्रकरण नये दर्ज किये गये। वर्ष में प्राप्त प्रकरण व पूर्व के बकाया प्रकरणों 442 एवं प्राप्त प्रकरणों कुल 3669 में से 3359 प्रकरणों का निराकरण कराया गया (परिशिष्ठ–।।)।

————————

परिशिष्ठ–**I**

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

दिनांक 01.01.2007 से दिनांक 31.12.2007 तक सम्पादित कार्यो का वार्षिक विवरण

सैल का नाम	वर्ष के आरम्भ में लम्बित पत्रों की संख्या	वर्ष में प्राप्त पत्रों की संख्या	योग	वर्ष में निस्तारित किये गये पत्रों/परिवादों की संख्या			वर्ष के अन्त में लम्बित पत्रों की संख्या	वर्ष के आरम्भ में लंबित परिवादों की संख्या	कॉलम 7 व 9 का योग	वर्ष में निस्तारित परिवादों की संख्या	वर्ष समाप्ति पर लम्बित परिवादों की संख्या
				मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये पत्रो की संख्या	विभागीय पत्रावलियों पर कार्यवाही किये गये पत्रों की संख्या	पत्रों की संख्या जिन पर नई पत्रावलियां खोली गई					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
पी.एम सैल	--	257	257	--	158	99	--	47	146	60	86
पब्लिक सैल	--	486	486	150	309	27	--	49	76	44	32
सर्विस सैल	--	387	387	157	213	17	--	25	42	15	27
गवर्नर एवं लोक शिकायत प्रकोष्ठ	--	6667	6667	5379	1155	133	--	98	231	112	119
राष्ट्रपति कार्यालय एवं मुख्य मंत्री प्रकोष्ठ	--	5715	5715	5715	--	--	--	--	--	--	--
सामान्य प्रकोष्ठ	--	2055	2055	--	2055	--	--	--	--	--	--
योग	**--**	**15567**	**15567**	**11401**	**3890**	**276**	**--**	**219**	**495**	**231**	**264**

परिशिष्ठ–II

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण (01.01.2007 से 31.12.2007)

क्र. स.	जिले का नाम	बैठकों की संख्या	पूर्व बकाया अभियोगों की संख्या	प्राप्त अभियोगों की संख्या	कालम 4 व 5 का योग	निस्तारित अभियोगों की संख्या	शेष अभियोगों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	11	4	41	45	39	6
2.	अलवर	10	6	78	84	77	7
3.	बांसवाड़ा	11	6	41	47	40	7
4.	बांरा	11	11	60	71	62	9
5.	बाड़मेर	9	17	167	184	159	25
6	भरतपुर	11	10	148	158	147	11
7.	भीलवाड़ा	11	12	28	40	38	2
8.	बीकानेर	12	7	73	80	79	1
9.	बूंदी	11	10	68	78	74	4
10.	चित्तौड़गढ़	11	13	137	150	146	4
11.	चूरू	10	20	52	72	60	12
12.	दौसा	10	29	78	107	106	1
13.	धौलपुर	11	11	93	104	92	12
14.	डूंगरपुर	10	22	142	164	154	10
15.	हनुमानगढ़	11	5	70	75	66	9
16.	श्रीगंगानगर	12	6	138	144	130	14
17.	जयपुर	10	16	77	93	75	18
18.	जैसलमेर	11	12	152	164	155	9
19.	झालावाड	8	10	43	53	47	6
20.	जालौर	8	11	118	129	121	8
21.	झून्झूनू	10	13	75	88	75	13
22.	जोधपुर	10	73	181	254	242	12
23.	कोटा	11	8	54	62	51	11
24.	नागौर	11	8	113	121	116	5
25.	पाली	11	8	51	59	52	7
26.	राजसमन्द	11	8	64	72	66	6
27.	सीकर	12	6	350	356	321	35
28.	सवाई माधोपुर	10	17	181	198	180	18
29.	सिरोही	12	5	53	58	56	2
30.	टोंक	11	10	81	91	82	9
31.	उदयपुर	11	17	170	187	183	4
32.	करौली	12	31	50	81	68	13
	;ksx	341	442	3227	3669	3359	310